न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रक0क्र0 - 69 / 2011

संस्थित दिनाँक-10.02.11

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1. 💎 गब्बर उर्फ रोहित पुत्र मुरारीलाल सोनी उम्र 26 साल
- 2. अन्नू पुत्र मुरारीलाल सोनी उम्र 25 साल
- 3. उषा पत्नी मुरारीलाल सोनी उम्र 45 साल
- 4. मुरारीलाल पुत्र तेजपाल सोनी उम्र 50 साल
- 5. शिवदत्त पुत्र मेवालाल सोनी उम्र 87 साल निवासीगण बडा बाजार गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

_<u>-ः निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 28.03.18 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 324 सहपिटत धारा 34 के अधीन आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.01.11 को 8:25 बजे रात्रि को स्थान फरियादी का मकान बड़ा बाजार गोहद में मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी विकास सोनी को क्षोभकारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारीपीट कर आरोपी उषा ने अपने दांतों को धारदार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर विकास सोनी की पीठ में काटकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री केशवसिंह, जेएमएफसी गोहद द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 03.09.15 को निर्णय पारित किया गया जिसकी दाण्डिक अपील क0 39/17 में मान0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद द्वारा निर्णय दिनांक 26.02.2018 को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए प्रत्यक्षदर्शी व महत्वपूर्ण साक्षी रामिकशन की साक्ष्य उपरांत एवं तत्पश्चात् आवश्यकता अनुसार अन्य महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध करते हुए तथा बचाव पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर देकर पुनः तर्क सुनकर गुणदोष के आधार पर विधि अनुसार पुनः निर्णय

पारित किए जाने के लिए आदेशित किया गया है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी व आहत विकास सोनी पुत्र लक्ष्मीनारायण की मृत्यु साक्ष्य पूर्व ही हो चुकी है।

- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी विकास सोनी अपने दादी के दिए मकान में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके चाचा मुरारी और चाची उषा आए दिन गाली गलींच करते रहते और आए दिन मकान खाली करने को कहते। दिनांक 02.01.2011 को सुबह करीब 8:25 बजे अभियुक्तगण उसकी बैठक में घुस आए और मारपीट करने लगे। उषादेवी ने उसे पीठ में काट लिया तथा शेष ने लातघूंसों से मारपीट की एवं मां बहन की गालियां दी। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट से अप0क0 14/11 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियुक्तगण के विरूद्ध साक्ष्य में कोई तथ्य न आने से द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण का परीक्षण नहीं कराया गया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 12.01.11 को 8:25 बजे रात्रि को स्थान फरियादी का मकान बडा बाजार गोहद में मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी विकास सोनी को क्षोभकारित किया ?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी विकास सोनी को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति क्या थी ?
 - 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रशरण में फिरियादी के साथ मारीपीट कर आरोपी उषा ने अपने दांतों को धारदार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर विकास सोनी की पीठ में काटकर स्वेच्छ्या उपहित कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पुनीत कांकर अ0सा0 1, रामकिशन भटेले अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7. फरियादी प्रकरण में मृत्यु हो जाने के कारण परीक्षित नहीं कराया जा सका, जबिक चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में पुनीत अ0सा0 1 व रामिकशन अ0सा0 2 को परीक्षित कराया गया। पुनीत अ0सा0 1

अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि वे अभियुक्तगण एवं फरियादी को जानते हैं, किन्तु उनके सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। समान कथन रामिकशन अ०सा० 2 भी करते हैं। अपने अभिसाक्ष्य में उनके समक्ष अभिकथित झगड़े के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्नों में घटना दिनांक 12.01.11 को उनके समक्ष अभियुक्त गण द्वारा फरियादी विकास सोनी की मारपीट किए जाने संबंधी सुझाव दिए गए, किन्तु दोनों ही साक्षियों ने उनके समक्ष फरियादी की मारपीट अभियुक्तगण द्वारा किए जाने और उनके द्वारा बीच बचाव करने के तथ्य का कोई भी समर्थन नहीं किया है।

- 8. साक्षी पुनीत अ०सा० 1 ने अपने पुलिस कथन प्रपी० 1 तथा रामिकशन अ०सा० 2 ने पुलिस कथन प्रपी० 2 के विनिर्दिष्ट भाग में स्पष्ट रूप से उल्लेखित तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। अभियोजन का यह तर्क है कि साक्षीगण अभियुक्तगण से मिल गए इस कारण से मामले का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि फरियादी की मृत्यु के कारण उसका कोई भी कथन अभिलेख पर नहीं हैं। अभियोजन की ओर से साक्षियों को उक्त सुझाव दिया गया, किन्तु साक्षियों ने अभियुक्तगण से मिल जाने के सुझाव से इंकार किया है। साथ ही साक्षियों के कथन न्यायालय के समक्ष शपथ पूर्वक किए गए हैं, जबिक प्रणी० 1 व 2 के पुलिस कथन स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, बिल्क उनका उपयोग साक्षी के पूर्वतन कथन के रूप में विरोधाभास अथवा लोप के संबंध में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। जो चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए हैं वे अभियोजन के मामले का किंचित भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी सारवान तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं।
- 9. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 12.01.11 को 8:25 बजे रात्रि को स्थान फरियादी का मकान बड़ा बाजार गोहद में मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी विकास सोनी को क्षोभकारित किया तथा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ मारीपीट कर आरोपी उषा ने अपने दांतों को धारतार हथियार के रूप में इस्तेमाल कर विकास सोनी की पीठ में काटकर स्वेच्छ्या उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 294, 324 सहपटित धारा 34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 10. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन की गयी, उनके निवेदन पर मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 11. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
- 12. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

WILLIAM PRICION SUNT

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश